

ओडिशा में परियोजना पीड़ितों से मल्लि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिनिधि

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के क्योझर ज़िले में बनाई जा रही कानपुर सचिआई परियोजना के कारण ज़िले के लोगों को वसिथापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी सलिसल्लि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना स्थल पर पहुँचकर पीड़ितों की समस्याओं का संज्ञान लिया।

परमुख बढि:

- मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिने चंपुआ उपखंड के अंतरगत चमकपुर, कंदारा और बरिवाल ग्रांम पंचायतों के ग्रांमीणों से बातचीत की और ज़मीन एवं आवास के नुकसान के बदले प्रदान कयि गए मौद्रिक मुआवजे के बारे में उनसे पूछा।
- मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिने पीड़ितों की समस्याओं से ज़िला प्रशासन को अवगत कराने का नरिणय लिया है।

परियोजना के बारे में:

- कानपुर सचिआई परियोजना की परकिल्पना बैतरणी नदी के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत की गई है।
- यह सचिआई परियोजना ओडिशा के क्योझर ज़िले में बनाई जा रही है, इससे लगभग 47,709 हेक्टेयर ज़मीन की सचिआई कयि जाने की उम्मीद है।
- परियोजना के माध्यम से क्योझर ज़िले के चंपुआ, झंपुरा, जोदा, पटना और क्योझर प्रखंड के किसानों के लाभानवति होने की संभावना है।

परियोजना से जुड़ी समस्याएँ:

- परियोजना के कारण 1,787 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि और 172 हेक्टेयर वनभूमिक्षेत्र के डूबने की आशंका है।
- 16 गाँवों के अनुमानति 3,577 लोगों को वसिथापन का सामना करना पड़ रहा है।
- एक दशक से भी अधिक समय से चल रही पुनर्वास प्रक्रिया अभी भी अपूरण है।
- जो लोग वापस आकर अपने गाँवों में रहे हैं वे मूल सरकारी कल्याण योजनाओं से वंचति हैं।
- क्षतपूरतिका भुगतान न होने के कारण ग्रांमीणों ने कई आंदोलन कयि हैं।
- ज़िला प्रशासन के अनुसार, 185 परिवारों से संबंधति बकाए के मुद्दों को सुलझाना शेष है, जबकि वसिथापति लोगों के मंच की कोर कमेटी ने दावा कयि है कि यह संख्या 500 से अधिक थी।